

छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - दो

मंगलवार, दिनांक 9 मार्च, 2021 (फाल्गुन 18, 1942)

सभा के गर्भगृह में आने पर स्वमेव निलंबन

आज मंगलवार दिनांक 9 मार्च, 2021 को अपरान्ह 12:50 बजे सदन की कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न करते हुए निम्नलिखित माननीय सदस्य सभा गर्भ गृह में प्रवेश करने के कारण छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250 के उपनियम (1) के तहत स्वयमेव निलंबित हो गये :-

1. श्री धरमलाल कौशिक
2. श्री बृजमोहन अग्रवाल
3. श्री पुन्नूलाल मोहले
4. श्री अजय चन्द्राकर
5. श्री नारायण चंदेल
6. श्री शिवरतन शर्मा
7. डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी
8. श्री सौरभ सिंह
9. श्री डमरूधर पुजारी
10. श्री विद्यारतन भसीन
11. श्री रजनीश कुमार सिंह
12. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू

आसंदी द्वारा उपरोक्त माननीय सदस्यों का निलंबन अपरान्ह 4:25 बजे समाप्त किया गया।

चन्द्र शेखर गंगराड़े

प्रमुख सचिव

छत्तीसगढ़ विधान सभा